

Developmental Disabilities and Early Childhood Supports Division (विकास संबंधी अक्षमताएं और शुरुआती बचपन सहायता डिविज़न)(DDECSD)

School-to-Work (S2W) आवेदन के लिए

तिथि		स्कूल				शिक्षक का		
		डिस्ट्रिक्ट				नाम		
स्कूल/प्रो	ग्राम का नाम					निकास वर्ष		
KING C	OUNTY निवा	सी?	□ हाँ	□ नहीं	अगर नहीं, त	गे आप जहाँ रहते/रह	ती हैं वह काउंटी दर्ज करें:	
विद्यार्थी का नाम:						 पसंदीदा नाम		
पता:		<u></u>	कुल नाम		नाम		मध्य आद्याक्षर	पसदादा नाम
संपर्क:		स्ट्रीट			शहर	शहर ज़िप कोड		
	ानूनी अभिभाव	•			सेल		ईमेल	
	ानूना आममावर र्क / अभिभावक			-	रगर्थी स्तरं का	भश्रिभातक सही ह	ग <u>ेअभिभावक होना ही चाहिए</u>)	
गुज्य राग	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	7 (161447 9	414(1.	(अगर विव	र्याचा रचच नग	31101011447 01 61, (<u>ाजालकाचन हाला हा चाहर</u>)	
			प्रमुख फोन	ईमेल पता				
				 प्रमुख फोन	ईमेल पता			
जनसाँख्यिकीय जानकारी			f	डिपार्टमेन्ट ऑफ सोशल एंड हेल्थ सर्विसिस (सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग) जानकारी				
जन्म तिथि:						DSHS/DDA स्थिति: (लागू होने वाले सभी को √ लगाएं)		
	महीव	ना	दिन		साल क	या आप इस समय।	DDA के/की क्लायंट हैं: □ हाँ	□ नहीं
			_] आवेदन कर रहे/र	ही हैं / फिर से आवेदन कर रहे/रही है	हैं / अपील कर रहे/रही हैं
लिंग: □ उन्हर्भः	पुरुषवर्णन करना पर	∓□ . 4. ci	त्री		34	अगर ठीक से पता न हो, तो इस नंबर पर कॉल करें 206-568-5700		
 बताना नहीं चाहेंगे/चाहेंगी 			के	केस मैनेजर का नाम (अगर पता हो):				
	जाति/मूल वंश	ा सम्र्ह (लागू	्होने वाले स\$	गी को √ लगाएं)		डिपार्टमेन्ट ऑफ सो	शल एंड हेल्थ सर्विसिस (सामाजिक	एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग)
🗌 व्हाइट य	ग श्वेत	□ зт	मेरिकन इंडियन	1/अलास्का के वत		डिपार्टमेन्ट ऑफ वोकेशनल रिहेबिलिटेशन (व्यावसायिक पुनर्वसन विभाग) जानकारी		
🗌 अश्वेत या ब्लैक/आफ्रिकन अमेरिकन 📗 एशियन/एशियन / एशियन-अमेरिकन				क्त वि	क्या आपने DSHS/DVR को आवेदन किया है: □ हाँ □ नहीं			
☐ हिस्पैनिक/लैटिनो ☐ हवाई के वतनी/पैसिफिक आइलैंडर			D	DVR काउन्सेलर का नाम (अगर पता हो):				
🗌 जाती सूचीबद्ध नहीं:			_		सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और	r भाग		
पसंदीदा भाष					 •		साराल ।सक्यारिटा बानाफट्स आर सेक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं:।	
ASL:	□	□ नर्ह	f				•	
दुआषिए की	माँग की है: 🔲	हाँ	🗌 नहीं		रा	शि: \$		
अन्य:								

विद्यार्थी का नाम:	 क्ल नाम	नाम	—————————————— मध्य आद्याक्षर		
निरगाभी प्रमाणन					
• मैं वचन की जाँच अगर मैं प हो, तो मु यह देखन	थीं प्रमाणन / अधिकृति मैं वचन देता/देती हूँ कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। मुझे पता है कि कोई इस जानकारी की जाँच कर सकता है और मुझ से अधिक दस्तावेज़ माँग सकता है। मुझे यह भी पता है कि अगर यह जानकारी सही न हो, तो अगर मैं पात्र न पाया/पायी जाऊँ तो मुझे प्रोग्राम से निकाल दिया जा सकता है और अगर मैंने जानबूझ कर आवेदन में झूठ बोला हो, तो मुझ पर धोखाधड़ी/झूठा साक्ष्य देने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैं इस जानकारी का मैं पात्र हूँ या नहीं यह देखने के लिए इस्तेमाल किये जाने की अनुमित देता/देती हूँ। मुझे मेरे माँग करने पर समान अवसर और अपील संबंधी अधिकारों और 1974 के प्राइवेसी एक्ट (गोपनीयता कानून) के बारे में जानकारी दी जाएगी।				
एडमिनि सेवाएं पा Division	स्ट्रेशन (DSHS/DDA) व ाने में मेरी मदद करने वे	को यह देखने के लिए जा के लिए किंग काउंटी De	ाजिक एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग), डेवेलपमेन्टल डिसेबिलिटीज़ ानकारी देने को अधिकृत करता/करती हूँ कि मैं पात्र हूँ या नहीं और evelopmental Disabilities and Early Childhood Supports ा सहायता डिविज़न) को देने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। सभी		
		-	नुझे अन्य सेवाओं का प्रस्ताव देने और स्कूल-टू-वर्क (S2W) प्रोग्राम ने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।		
	के हस्ताक्षर आवश्यक हैं				
•	CSD को मेरे विद्यार्थी की	ो रोज़गार पाने में सहायत	ता करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।		
प्रदान को प्रासंगिक	ो अधिकृत करता/करती हूँ 5 किसी भी जानकारी के 1	(। यह आदान प्रदान मेरे र्ा लिए अधिकृत है। मैं सम	ी भी स्कूल, स्कूल डिस्ट्रिक्ट या कॉलेज के बीच जानकारी के आदान विद्यार्थी की S2W प्रोग्राम और संबंधित गतिविधियों में सफलता के इझता/समझती हूँ कि इसमें मानकीकृत परीक्षा परिणाम, ट्रांस्क्रिप्ट, कों और अन्य कर्मचारियों से जानकारी शामिल हो सकती है।		
	विद्यार्थी को पूरी तरह को अनुमति देता/देती	•	दान शैक्षिक, प्रशिक्षण और रोज़गार संबंधी परामर्श गतिविधियों में		
	विद्यार्थी को DDECSD 1 लेने और जाने की अनुम	•	भी शैक्षिक, काम संबंधी और प्रशिक्षण संबंधी फ़ील्ड ट्रिप या गतिविधि		
			जो DDECSD की मेरे विद्यार्थी को सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेगी आपका विद्यार्थी ले रहा हो वह डॉक्टर की लिखी दवाएं शामिल हैं)।		
<i>बताएं</i> :					
	प्रोग्रामों के बारे में समुदार कि डिस्प्ले में इस्तेमाल वि		ाहन देने के लिए मेरे विद्यार्थी के नाम और उसके जैसे चेहरे को ज्दता/करती हूँ।		
हस्ताक्षर:					
विद्यार्थी			तिथि:		

(यदि विद्यार्थी के अलावा हो तो)

तिथि:



जानकारी के विमोचन के लिए सहमति

विट	्यार्थी का नाम:	
	कुल नाम ना	म मध्य आद्याक्षर
Х	मैं नीचे जिसके सामने सही का निशान है उस एजेन्सी को अनुमति देता/देती हूँ: King काउंटी डिपार्टमेन्ट ऑफ कम्युनिटी एंड ह्युमन सर्विसिस (समुदाय और मानव सेवा विभाग) Washington State Department of Social & Health Services	Developmental Disabilities& Early Childhood Supports Division (विकास संबंधी अक्षमताएं और शुरुआती बचपन सहायता डिविजन)(DDECSD)
X	Washington State Department of Social & Health Services Washington State Department of Social & Health Services	Division of Vocational Rehabilitation (व्यावसायिक पुनर्वसन संभाग DVR)
X X	Washington State Department of Services for the Blind (अंध व्यक्तियों के	विकास संबंधी अक्षमताएं प्रशासन (डेवेलपमेन्टल डिसेबिलिटीज एडमिनिस्टेशन, DDA)
Х	लिए सेवा विभाग) Washington State काउंटियाँ: पहले का, वर्तमान या भावी निवास	
X	किशोर न्यायालय, डिपार्टमेन्ट ऑफ करेक्शन्स	
Х	United Indians of All Tribes Foundation (यूनाइटेड इंडियन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स फाउंडेशन)	
Х	जहाँ पढ़ाई की हो वह सार्वजनिक या निजी स्कूल	
Χ	जहाँ आवेदन किया हो और/या उपस्थित रहे/रही हों वह कम्युनिटी कॉलेज	
Χ	व्यावसायिक तकनीकी प्रोग्राम जिनमें आवदेन किया हो और/या मौजूद रहे हों	
Χ	DDECSD के साथ अनुबंध में हों ऐसे रोज़गार प्रदान वेन्डर	
X	वकालत संगठन	Arc of King County, Open Doors for Multicultural Families (आर्क ऑफ किंग काउंटी ओपन डोर्स फॉर मल्टीकल्चरल फैमिलीज)
Χ	निवासी या वयस्क फैमिली होम सर्विसिस प्रदाता	
Χ	DDECSD के साथ अनुबंध में हों ऐसे तकनीकी सहायता प्रदान वेन्डर	
व्या X	वसायिक सेवाओं का आयोजन और प्रदान कर पाने के लिए वित्तीय या अन्य आवश्यक King काउंटी डिपार्टमेन्ट ऑफ कम्य्निटी एंड हय्मन सर्विसिस (सम्दाय और मानव	जानकारी विमोचित करने के लिए Developmental Disabilities& Early Childhood Supports Division (विकास संबंधी
×	सेवा विभाग) Washington State Department of Social & Health Services	अक्षमताएं और शुरुआती बचपन सहायता डिविजन)(DDECSD) Division of Vocational Rehabilitation (व्यावसायिक पुनर्वसन संभाग DVR)
Х	Washington State Department of Social & Health Services	<u>विकास संबंधी अक्षमताएं प्रशासन (डेवेलपमेन्टल डिसेबिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन, DDA)</u>
X	Washington State Department of Services for the Blind (अंध व्यक्तियों के लिए सेवा विभाग)	
Χ	Washington State काउंटियाँ: पहले का, वर्तमान या भावी निवास	
Χ	किशोर न्यायालय, डिपार्टमेन्ट ऑफ करेक्शन्स	
X	United Indians of All Tribes Foundation (यूनाइटेड इंडियन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स फाउंडेशन)	
Х	जहाँ आवेदन किया हो और/या उपस्थित रहे/रही हों वह सार्वजनिक या निजी स्कूल	
X	जहाँ आवेदन किया हो और/या उपस्थित रहे/रही हों वह कम्युनिटी कॉलेज	
X	व्यावसायिक तकनीकी प्रोग्राम जिनमें आवदेन किया हो और/या मौजूद रहे हों	
Х	DDECSD के साथ अनुबंध में हों ऐसे रोज़गार प्रदान वेन्डर वकालत संगठन	Are of King County Open Deers for Multicultural Families (21) 2 10 12 10 12 10
Χ	पमालत संगठन	Arc of King County, Open Doors for Multicultural Families (आर्क ऑफ किंग काउंटी ओपन डोर्स फॉर मल्टीकल्चरल फैमिलीज)
Х	निवासी या वयस्क फैमिली होम सर्विसिस प्रदाता	-
Χ	DDECSD के साथ अनुबंध में हों ऐसे तकनीकी सहायता प्रदान वेन्डर	
	मझता/समझती हूँ कि इस जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और इससे किंग कार्ट ो अक्षमताएं और शुरुआती बचपन सहायता डिविज़न) के साथ मेरी सेवाएं प्रभावित	उंटी Developmental Disabilities and Early Childhood Supports Division (विकार नहीं होंगी।
 विद्	गर्थी के हस्ताक्षर	तिथि तिथि
 अभि	भावक के हस्ताक्षर (अगर विदयार्थी से अलग हो तो)	 নিথি



Department of Community and Human Services

Developmental Disabilities and Early Childhood Supports Division
401 Fifth Avenue, CNK-HS-0500

Seattle, WA 98104 फ़ोन: 206-263-9105

टीटीवाय: 711

फैक्स: 206-205-1632 www.kingcounty.gov/ddd/

तसवीर के लिए अनुमति और निर्मुक्ति

School-to-Work (स्कूल-टू-वर्क) श्रेष्ठ कार्य रीतियाँ: ब्रोशर, प्रचार सामग्री, वीडियो और सफलता की कहानियाँ।

विद्यार्थी का नाम						
पताः						
शहर, राज्य, ज़िप		<u></u>				
एतदद्वारा अग्रिम में इस बात के लिए सहमति देता/देती हूँ और अपनी अनुमति देता/देती हूँ कि मेरी ली गई सभी तसवीरों को वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पेजिस, काशन, डिस्प्ले, वीडियो प्रेज़न्टेशन, और King County के लिए विजापन के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है और उनका पुनःउपयोग किया जा सकता है। समझता/समझती हूँ कि सभी डिजिटल फ़ाइलें, नेगेटिव, पॉज़िटिव, प्रिंट और ट्रांसपेरंसियाँ King County की संपत्ति होंगी और उन्हें बिना मुझे प्रतिफल दिए स्तेमाल और पुनःउपयोग किया जा सकता है। King County की तसवीरें सार्वजनिक डोमेन में हैं और उन पर कॉपीराइट नहीं लगाया जा सकता या उनका पावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस्तेमाल के उदाहरणों में ब्रोशर, वीडियो, सफलता की कहानियाँ, विधिक फोरम सामग्री और इंटरनेट पेजिस शामिल लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।						
मैं एतद द्वारा King County और लेखक को फोटोग्राफ और टेक्स्ट के के दावे शामिल हैं, से मुक्त और निर्भार करता/करती हूँ।	इस्तेमाल में से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाल	न्ने सभी दावों और माँगों, जिसमें बदनामी				
🔲 मेरी आयु 18 साल या उससे ज्यादा है						
विद्यार्थी के हस्ताक्षर	 तिथि					
भरें यदि मॉडलकी उम 18 साल से कम हो या उनका अभिभावक हो मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं नामित मॉडल का /की अभिभावक हूँ पुनःउत्पादन के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।	और बिना हिचकिचाहट के King County/Metro वे	n वर्णन किए गए फोटो के इस्तेमाल और				
अभिभावक के हस्ताक्षर (अगर विद्यार्थी से अलग हो तो)	 ਰਿथਿ					

हालाँकि सामान्यतः खबरों और पत्रकारिता के लिए ली गई तसवीरों के लिए मॉडल रिलीज़ आवश्यक नहीं है, ये गोपनीयता के अतिलंघन के लिए King County के दायित्व को कम कर सकती हैं। फ़ॉर्म इनके लिए आवश्यक नहीं हैं: सार्वजिनक कार्यक्रमों में समूह, औपचारिक दायित्व निभा रहे King County कर्मचारी, और खबरों के लिए ली गई तसवीरें (अलावा इसके कि इन्हें शर्मिंदा करने वाला माना जाए)। इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली फोटो के लिए मॉडल रिलीज़ आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की तसवीर न खींचने की मॉग की जाए, तो फोटोग्राफर को उसका सम्मान करना चाहिए। जब भी संभव हो, फोटोग्राफर को इन तसवीरों के सामान्य उद्देश्यों के बारे में जिनकी फोटो खींची जा रही हैं उन्हें सूचित करना चाहिए। अगर कोई इस्तेमाल को विशेष प्रकाशनों या अन्य उद्देश्यों तक सीमित करना चाहे, तो इस बात को सहमति फॉर्म में नोट किया जाना चाहिए और उस पर मॉडल और फोटोग्राफर को अपने आद्याक्षर लिखने चाहिए। एजेन्सी को तब तक हस्ताक्षरित सहमति फॉर्म रखे रहना चाहिए जब तक डिजिटल फ़ाइलें, ट्रांसपेरंसियाँ, प्रिंट्स या नेगेटिव्स King County द्वारा रखे जाएं।



Department of Community and Human Services Developmental Disabilities and Early Childhood Supports Division

विद्यार्थियों, परिवारों, अभिभावकों और प्रमुख सहाय के लिए King County School-to-Work (स्कूल-टू-वर्क) (S2W) प्रोग्राम संबंधी जानकारी

विद्यार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए King County S2W प्रोग्राम के अवसरों और दायित्वों को समझना, अपने विद्यार्थी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहमत होना और सवेतन रोज़गार खोजने के पथ पर चरणों में हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है। यह दस्तावेज़ आपको S2W प्रोग्राम के सबसे ज्यादा बार पूछे जाने प्रश्न देता है और विद्यार्थियों और उनके प्रमुख सहायक लोगों की भूमिकाओं और दायित्वों का विस्तृत वर्णन प्रदान करता है।

विद्यार्थी और परिवार/मुख्य सहायक व्यक्ति(यों) के दायित्व क्या हैं?

- प्रोग्राम कैसे काम करता है यह जानना और विद्यार्थी के कार्य संबंधी लक्ष्यों के संबंध में इन विषयों के बारे में जानने को सहमत होना।
 - o सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, वर्क इनसेन्टिव्स, और वर्क/ Medicaid एंड वर्क
- रोज़गार सेवाओं के लिए निधियन
 अाद्यक्षर लिखें _____
- स्कूल से वयस्क सेवाओं में पारगमन के बारे में जानने के लिए समुदाय के संपर्क कार्यक्रमों में मौजूद रहना, School-to-Work (स्कूल-टू-वर्क) प्रोग्राम को समझना और School-to-Work (स्कूल-टू-वर्क) रोज़गार सेवा एजेन्सियों से जुड़ना।
- अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर करीब से काम करें. पता लगाएं कि क्या डिस्ट्रिक्ट ने एम्बेडेड मॉडल के द्वारा विद्यार्थियों के साथ काम करने के लिए किसी रोज़गार सेवा एजेन्सी का चयन किया है।
- अगर नहीं, तो विद्यार्थी और मुख्य सहायक व्यक्ति(यों) को तीन रोज़गार सेवा एजेन्सियों से बातचीत करने को,तािक यह तय किया जा सके, िक वे कौनसी एजेन्सी के साथ काम करना चाहते हैं और अपने रोज़गार सलाहकार (कोच, स्पेशियितस्ट) से मिलने को प्रोत्साहन दिया जाता है। जाँब फाउंडेशनों में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को अपने पारगमन के अंतिम-से-पहले- वाले साल को फाॅल में एक एजेन्सी को चुनने को प्रोत्साहन दिया जाता है। सभी विद्यार्थियों को अपने पारगमन के अंतिम साल के पहले की गरिमयों से देर से नहीं इस तरह से अपनी एजेन्सी का चयन करने को प्रोत्साहन दिया जाता है।

आद्याक्षर लिखें____

आद्याक्षर लिखें |

- विद्यार्थी अपने परिवहन के लिए ज़िम्मेदार होंगे जिसमें Metro या Access जैसे सामुदायिक परिवहन का इस्तेमाल सीखने को प्राथमिकता दी जाएगी, रोज़गार पाने से पहले।

 अादयाक्षर लिखें
- मातापिता और अन्य मुख्य सहायक व्यक्तियों को नौकरी के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए जिसके लिए उन्हें रचनात्मक विचार शेयर करने चाहिए, सामुदायिक संपर्क और आवश्यकतानुसार संभावित लीड। ज्यादातर लोग अपनी पहली नौकरी अपने पारिवारिक संबंधों से पाते हैं!
- विद्यार्थियों का स्कूल में भर्ती रहना आवश्यक है:
 - स्कूल कर्मचारी प्रशिक्षण और इंटर्निशिप सहायता प्रदान करते हैं; वे यह तभी कर सकते हैं, जब विद्यार्थी भर्ती रहें।
 नौकरियाँ स्कूल दिन के हिस्से के रूप में शामिल हो सकती हैं और हो सकता है कि विद्यार्थी कक्षा में बहुत ही कम घंटे
 बिताएं।
 - कभी-कभी विद्यार्थी अपनी पहली नौकरी खो देते हैं और उन्हें एक और नौकरी मिल तब तक सेवाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट के पास वापस आना पड़ता है।

सभी साझीदार साथ मिलकर काम कैसे करते हैं?

इस प्रोग्राम के लिए टीम के रूप में काम करना आवश्यक है! टीम के मुख्य सदस्यों में विद्यार्थी, उनका परिवार/मुख्य सहायक व्यक्ति, उनके शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारी, रोज़गार सेवा एजेन्सी, Washington State Department of Social and Health Services (सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग) Division of Vocational Rehabilitation (व्यावसायिक पुनर्वसन संभाग) (DSHS/DVR) काउन्सेलर और Developmental Disabilities Administration (विकास संबंधी अक्षमता प्रशासन) (DDA) के/की केस मैनेजर शामिल हैं।

- सफलता के लिए खुला संचार और स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करना आवश्यक है। अपनी रोज़गार सेवा एजेन्सी से अच्छा संबंध बनाना महत्वपूर्ण है, तािक आप विवादों से समस्याएं बन जाएं उससे पहले उनके बारे में उनसे बात कर सकें। उन्हें शुरू में ही अपनी पसंद और अपेक्षाएं बता दें। ज्यादातर विवाद अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पाने में समस्या ही होते हैं. अगर आपको प्रक्रिया के बारे में कोई अस्पष्टता हो, तो सिक्रय बनें और उन्हें कॉल करके उनसे बात कर लें। अन्य विवाद वयस्क सेवाएं और स्कूल सेवाएं जिस तरह से प्रदान की जाती हैं उसके अंतर की वजह से हो सकते हैं।
- टीम सदस्यों के लिए नियमित रूप से मिलना और संचार करना ज़रूरी है ताकि विचार किया जा सके, कार्यनीतियाँ विकसित की जा सकें और नौकरी के विकास और प्रशिक्षण से जुड़े दायित्वों के बारे में सौदेबाज़ी की जा सके। जहाँ रोज़गार सेवा एजेन्सी और DVR सहित अलग-अलग साझीदारों के साथ औपचारिक मीटिंग होंगी, वहाँ विद्यार्थी और परिवार / सहायक व्यक्ति(यों) को अगर प्रश्न या चिंता हों, तो सिक्रय रूप से मीटिंग की माँग करनी चाहिए। रोज़गार सेवा एजेन्सी को विद्यार्थी और उनकी सहायक टीम को हर महीने गतिविधियों और प्रगति की लिखित रिपोर्ट प्रदान करनी होती है।

जब विद्यार्थी को नौकरी मिल जाती है तब क्या होता है?

नौकरी सेवा एजेन्सियाँ नियोक्ता और विद्यार्थी के साथ करीब से काम करेंगी। वे विद्यार्थियों को सभी कार्यों में यथासंभव स्वतंत्र हो पाने के लिए काम पर अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। सुरक्षा और पर्यवेक्षण संबंधी चिंताओं को संबोधित किया जाएगा; हालाँकि लोगों को यथोचित जोखिम उठाने और स्वाभाविक सहायता कार्यनीतियाँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। विद्यार्थी जितना अधिक स्वतंत्र होना सीखेंगे, उतने उनके बपास रोज़गार के अवसर अधिक होंगे।

अादयाक्षर लिखें

समयसारणी और रोज़ाना के नियमित कार्यों में परिवर्तन हो सकता है जब विद्यार्थी काम करना शुरू करे। विद्यार्थी की टीम इन परिवर्तनों के दौरान बात करना जारी रख कर या इन परिवर्तनों के दौरान अन्य सहायता प्रदान करके और काम के मूल्य और महत्व को और उजागर कर के मदद कर सकती है।

अाद्याक्षर लिखें

- कार्य की समयसारणी में शाम एवं/अथवा वीकएंड के घंटे शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों से मौसम, छुट्टियों, जल्दी छूट जाना आदि के कारण स्कूल बंद हो तब भी काम पर जाने की अपेक्षा की जा सकती है।
 - विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार सीधे नियोक्ता से संचार करने में सहायता की जानी चाहिए, अगर वह बीमार हो, देर हो जाए या वेकेशन या खास घटनाओं के लिए छुट्टी चाहिए हो।
 आद्याक्षर लिखें
 - कार्य की समयसारणी का स्कूल की गतिविधियों जैसे कि मनोरंजन के लिए बाहर जाना, असेम्ब्ली, बर्थडे पार्टी आदि से टकराव हो सकता है। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी माँगी जा सके; लेकिन अगर ऐसा न हो, तो हम कहेंगे कि टीम विद्यार्थियों की काम को चुनने में मदद करे और कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल करने के अन्य तरीके खोजे या कार्य/जीवन में अच्छा संतुलन बनाने के लिए अन्य समय पर छुट्टी लेने को प्रेरित करे।

आद्याक्षर लिखें __

कार्य स्थल पर विद्यार्थी को ड्रेस कोड का अनुसरण करना पड़ सकता है या वरदी पहननी पड़ सकती है। हो सकता है कि उन्हें समय
 पर उठने, नहाने, साफ, उपयुक्त कपड़े पाने और कार्यस्थल के लिए उनकी दिखावट और नीज स्वच्छता उपयुक्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए घर पर मदद की ज़रूरत पड़े। जब भी संभव हो, विद्यार्थियों की इन कार्यों में हिस्सा लेने में मदद करें!

आद्याक्षर लिखें __

•	हो सकता है कि काम से विद्यार्थी का पूरा दिन या सप्ताह उतना व्यस्त न रहे जितना की स्कूल	में होता था। जहाँ विद्यार्थियों को
	जितना संभव हो फुल टाइम के करीब काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, ज्यादातर विद्	्यार्थी पार्टटाइम नौकरियों से शुरू
	करते हैं। जहाँ इस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य एक सवेतन नौकरी है, विद्यार्थी और उनका परिवार	/ मुख्य सहायक व्यक्ति(यों) को
	स्कूल के आखरी साल का इस्तेमाल स्कूल के खतम होने के बाद विद्यार्थी के लिए एक भरापूरा अ	ौर अर्थपूर्ण जीवन बनाने के लिए
	काम के अलावा योजनाएं और संसाधन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।	आदयाक्षर लिखें

क्या S2W प्रोग्राम इस बात की गारंटी दे सकता है कि सभी विदयार्थियों को उन्हें चाहिए ऐसी नौकरी मिले?

- यह प्रोग्राम इस बात की गारंटी नहींद ता है कि सभी विद्यार्थी नौकरी के साथ ही स्कूल छोड़ेंगे। यह जब विद्यार्थी स्कूल में हो उसी दौरान इस लक्ष्य की दिशा में काम करने के अवसर प्रदान करता है। अगर विद्यार्थी नौकरी के साथ स्कूल न छोड़े, तो उन्होंने स्कूल के बाद एक योजना बनाने के लिए मुख्य सेवा एजेन्सियों के साथ कनेक्शन बना लिए होंगे।

 अाद्याक्षर लिखें
- हम विद्यार्थियों और उनकी सहायता टीम को बेहतरीन नौकरी खोजने, रेज्यूमेब नाने और किरयर के पथ पर कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम में से अधिकतर लोगों की तरह, किसी विद्यार्थी की पहली नौकरी अक्सर उनके सपनों की नौकरी नहीं होती है, लेकिन यह पहला कमद होती है।
- यह प्रोग्राम दीर्घकालीन निधियन की उपलब्धता की गारंटी नहीं देता है। इस प्रोग्राम का निधियन DDECSD द्वारा सीमित माइलेज निधि का स्कूल वर्ष के अंत तक इस्तेमाल करके किया जाता है। DSHS/DVR S2W प्रोग्राम के निधियन करने वाले साझीदार हैं, लेकिन यह दीर्घकालीन सहायता के लिए निधियन प्रदान नहीं करते हैं। यह सहायता रोज़गार बनाए रखने में अतिमहत्वपूर्ण हो सकती है और करियर पथ के निर्माण में आवश्यक हो सकती है। हरेक विद्यार्थी और/या उनका परिवार/मुख्य सहायक व्यक्ति के लिए DSHS/DDA सहित उनके दीर्घकालीन निधियन विकल्पों के बारे में जानना आवश्यक है।

आद्याक्षर लिखें ____

क्या विद्यार्थी अपनी प्रदाता एजेन्सी बदल सकता है या प्रोग्राम में से निकल सकता है?

• विद्यार्थी S2W प्रोग्राम के दौरान या उसके बाद अपने प्रदाता को बदलना चुन सकता है। तथापि S2W की छोटी समयरेखा के दौरान प्रदाताओं को बदलने से सेवा प्रदान पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। नये प्रदाता की उपलब्धता की गारंटी नहीं दी जाती है। हम विद्यार्थी और उनकी सहायता टीम को कम से कम 3 रोज़गार सहायता सेवा एजेन्सियों से बातची करने या उनकी साझीदार एझेन्सी से सहयोग करने में अपने डिस्ट्क्ट के साथ करीब से काम करने को प्रोत्साहन देते हैं।

आद्याक्षर लिखें ____

- अगर विद्यार्थी या उनकी सहायता टीम को लगता है कि रोज़गार सेवा एजेन्सी संचार के वाजिब प्रयासों के बावजूद मुख्य सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है, तो किसी S2W प्रोग्राम मैनेजर को सूचित करने की ज़िम्मेदारी उनकी है। प्रोग्राम मैनेजर स्थिति का समाधान करने के लिए टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर समाधान न मिले, तो प्रोग्राम मैनेजर विद्यार्थी और उनकी सहायता टीम को किसी अन्य एजेन्सी द्वारा सहायता सेवाओं के लिए विकल्प प्रदान करेंगे।
- DDECSD माँग करता है कि हर विद्यार्थी का (के) प्राथमिक सहायता व्यक्ति प्रोग्राम के बारे में जानें, उसमें हिस्सा लें, और विद्यार्थी के रोज़गार संबंधी लक्ष्यों का समर्थन करें। अगर प्रोग्राम के दौरान रोज़गार सेवा एजेन्सी को संचार के वाजिब प्रयासों के बावजूद पता चलता है कि विद्यार्थी या उनकी सहायता टीम विद्यार्थी के रोज़गार संबंधी लक्ष्यों में सहायता नहीं करेंगे, तो प्रदाता S2W प्रोग्राम मैनेजर को सूचित करेगा जो विवाद का समाधान करने की कोशिश करेगा। DDECSD परिस्थिति का समाधान हो तब तक सेवाओं के लिए भुगतान बंद करने का अधिकार आरक्षित रखता है।

मैंने पूरा School-to-Work (स्कूल-टू-वर्क) आवेदन पढ़ा है। मैं मातापिता/अभिभावक/मुख्य सहायक व्यक्ति और विद्यार्थी की ज़िम्मेदारियाँ समझता/समझती हूँ और उनके लिए सहमत होता/होती हूँ।

	 तिथि	
मुख्य सहायक व्यक्ति के हस्ताक्षर	 तिथि	
अभिभावक के हस्ताक्षर (यदि विद्यार्थी या मुख्य सहायक से अलग हो तो)	 तिथि	

अपना आवेदन जमा करने के लिए

कृपया यहाँ ईमेल भेजें <u>S2Wreports@kingcounty.gov</u>, या इसे डाक द्वारा यहाँ भेजें

Department of Community and Human Services Developmental Disabilities and Early Childhood Supports Division 401 Fifth Avenue, CNK-HS-0500 Seattle, WA 98104

S2W प्रोग्राम मैनेजर:

Richard Wilson Emily Hart Cassie Glenn प्रोग्राम मैनेजर प्रोग्राम मैनेजर प्रोग्राम मैनेजर

फ़ोन: 206-263-9044 फ़ोन: 206-477-7661 फ़ोन: 206-263-7999
Richard.Wilson@Kingcounty.gov cglenn@kingcounty.gov

TJ Protho प्रोग्राम मैनेजर फ़ोन: 206-930-2496

tprotho@kingcounty.gov